23/12/2024	पत्रा॰ पेश हुई। वकी॰ उप॰। हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी जा चुकी है। प्रार्थी वकील की ओर से कथन रहे कि आराजी खसरा नम्बर 1094 रकबा 0.88 हेक्टे॰ वाले ग्राम रिकार्ड में अंकित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एवं अप्रार्थीगण संख्या 10 के वारिसान 10/1 से 10/3 द्वारा दिनांक 01/06/2023 को तहसीलदार महोदय आदेशानुसार पटवारी हल्का टीम द्वारा मौके पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 9 व अन्य उपस्थित गवाहानों के समक्ष पैमाइश करवाई गई, जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1094 का रकबा मुताबिक हाल वर्तमान नक्शा रकबा कम पड़ता है। तथा खसरा नम्बर 1092, 1093 वाके ग्राम सारकड़ी व खसरा नम्बर 793 वाके ग्राम अरोंदा में खातेदारों के नम्बरानों में रकबा आना बताया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 10 के वारिसान 10/1 से 10/3 के खसरा नम्बर 1094 व उसकी चारों भुजाओं की चारों दिशाओं से लगे हुए अप्रार्थीगण 1 लगायत 9 के खसरा नम्बरान 1092 व 1093 वाके ग्राम सारकड़ी व खसरा नम्बर 793 वाके ग्राम अरोंदा की पैमाइश करवाई जाकर सीमा निर्धारित कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश प्रदान करें। अप्रार्थीगण की ओर विद्वान अधिवक्ता के कथन रहे कि अप्रार्थीगण का खसरा नम्बर किसी भी दिशा में नहीं बढ़ाया गया है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई रकबा कम नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में सही रकबा दर्शाया गया है। अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट काबिल खारिजी के है।	

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो पाया कि विवादित खसरा नम्बर 1094/0.68 हैक्टे. में दर्ज है। मौका वाके ग्राम सारकई में ... दिनांक 01/6/2023 रिपोर्ट वाके ग्राम सारकई संवत 2073-2076 प्रार्थी द्वारा एवं जमाबंदी पेश किये गये। प्रार्थी व अप्रार्थी अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं मौका पर्चा का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट बाबत पैमाइश करवाकर सीमा चिन्हित कर मुडडी गाडने स्वीकार किया जाता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना-पत्र 128 एल. आर. एक्ट स्वीकार करते हुए धारा 111 के अधिकारों का उपयोग करते हुए तहसीलदार नदबई को आदेशित किया जाता है कि आप विवादित आराजी खसरा नम्बर 1094/0.68 हैक्टे. वाके ग्राम सारकई की आराजीयात से लगते हुए समस्त काश्तकारों को विधिवत रूप से पूर्व में सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में पुनः पैमाइश कर पत्थरगढी किया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली खुलल कुमार होकर नम्बर से कम हो बाद दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)